


12.4.18 वसुधापानी के वसुधापानी  
अपारी लकाड देव बाबू चण्डे  
अपारी शिवराज साहू  
304-18 में पेश हो

उपसभ अधिकारी, जसवन्तपुरा  
जिला-जातोर (राज.)

304-18 वसुधापानी के वसुधापानी  
आज भीमान A एस. साहू पेश  
हुए हैं मिसल नारील 305-18 को  
पेश हो

305-18 पत्रावली आज पेश हुई।  
अपारी की ओर से जवाब पेश  
हुआ जो शामिल मिसल किया गया।  
प्रकरण का अवलोकन किया गया अपारी  
ने प्रथम पत्र अन्तर्गत धारा 304  
अधिक 136 के पेश किया अपारी ने  
माँजा जसवन्तपुरा के खण्ड 39, 40  
कुल 0.63 हे० एव खसरा नं 1259  
1260 कुल रकबा 2.45 हे० एव  
कुल ख खीतपुरा के खण्ड 223, 224  
रकबा 1.90 हे० में प्रथम का नाम  
बना पुत्र लाला की बजाय भकाशु  
पुत्र लालाशम एव शीशते शान्ता  
पाने बना की बजाय श्रीमति  
शान्तापती भकाशम कुरुक्ष  
किया जाये। तहसीलदार  
जसवन्तपुरा से जवाब पेश  
हुआ तहसीलदार जसवन्तपुरा

  
उपसभ अधिकारी, जसवन्तपुरा  
जिला-जातोर (राज.)

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहमकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

ने बलाचा की भकाराम पुत्र  
साकलाशाम जाति मेच्यल  
खतेदारी खण्ड 223, 224  
एव 1280 मे प्रार्थी का नाम बना  
पुत्र साकला दर्ज है तथा ग्राम अचमल  
के खण्ड 474, 475, 476, 477, 478  
479, कुल रकबा 2.11 हे० मे नाम  
भकाराम पुत्र साकला दर्ज है।  
ग्राम जसवंतपुरा के न० 293  
दिनांक 8.9.2000 मे अमीया जोजे  
साकला को होने पर नामांतरण  
मे बना दर्ज किया गया। अतः  
प्रकरण रिकॉर्ड शुद्धि का नही है।  
हमने प्रकरण एव तहसीलदार  
जसवंतपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब  
का अवलोकन किया प्रार्थी ने सहकार  
हितबद्ध सहकार नही बनाये गये  
एव उत्तराधिकारी एव पालि का  
नाम बैचान से आया है अतः  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 स्वीकार  
योग्य नही पाया जाता है प्रार्थी  
प्राथमिक दावा हेतु स्वयं है।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार  
किया जाता है। विशेष दिनांक 30.5.18  
कोर्ट के मय जसवंतपुरा सुनाया  
जाया।

30/5/18